UPSR010014302026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार प्रजापति) – उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06330

जमानत आवेदन पत्र संख्या–576/2026

मेहताब उम्र 46 वर्ष पुत्र निजामुद्दीन, निवासी मछरिहवा, थाना को० भिनगा, जिला श्रावस्ती। ... .प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ....अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या– 167/2026

धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट

थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती।

दिनांक–30.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी/अभियुक्त मेहताब के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपर्युक्त मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी उ०नि० साहव राव की पुलिस टीम व एस०एस०बी० की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक–21.06.2026 समय 15.30 बजे स्थान निकट बी०पी० नम्बर 631, ग्राम गुर्जर नाला जंगल क्षेत्र, वहद ग्राम भचकाही, थाना सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती में प्रार्थी/अभियुक्त को 5 किलो 270 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के पास चरस रखने का लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसके विरूद्ध वादी द्वारा मुकदमा उपर्युक्त मामले में अभियोग पंजीकृत कराया गया।

3– जमानत आवेदन पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत जमानत आवेदन पत्र किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी /अभियुक्त को मुकदमा उपर्युक्त में महज रंजिशन हैरान व परेशान करने की गरज से फंसा दिया गया है। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के अनुसार पहले

Digitally signed by AMIT KUMAR PRAJAPATI
Date: 2026.07.30 15:46:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निरीक्षक सामान्य रहेस सिंह राना द्वारा अपने कैम्प से इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाया गया और उसकी जामा तलाशी ली गयी, तब तक उसके पास से कुछ बरामद नहीं किया गया। उसके बाद उप कमांडेन्ट के द्वारा जामा तलाशी का आदेश देने पर कमलेश कुमार नायक के द्वारा पुनः तलाशी ली गयी, तब उसके पास से झोले में चरस व पैण्ट के जेब से मोबाइल बरामद होना बताया गया। इस प्रकार कथित बरामदगी फर्जी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कथित चरस की बरामदगी नहीं हुयी है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त को कथित घटनास्थल से गिरफ्तार ही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त मैच का अच्छा खिलाड़ी है और वह नेपाल बार्डर पर सुइया में अक्सर मैच खेलना जाया करता था, वहां पर एस०एस०बी० कैम्प के लोगों ने प्रार्थी/अभियुक्त को अपने पास कई घण्टों तक बैठाये रखा। इसको लेकर प्रार्थी/अभियुक्त व एस०एस०बी० के लोगों से विवाद भी हुआ था। उसी रंजिश से पुलिस व एस०एस०बी० की साजिश से प्रार्थी/अभियुक्त को घर से उठा लिया गया और फर्जी बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन के साथ शपथी सद्दाम अहमद जो कि प्रार्थी/अभियुक्त का भाई व पैरोकार मुकदमा है, ने अपना शपथ पत्र दिया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत की याचना है।

4– राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से नाजायज 5 किलो 270 ग्राम चरस की बरामदगी है जो कि वाणिज्यिक मात्रा में है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास चरस को रखने तथा परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई अधिकार पत्र नहीं है। अपराध समाज को प्रभावित करने वाला है। प्रार्थी/अभियुक्त की जामा तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ली गयी है। अतः जमानत आवेदन खारिज किये जाने की याचना है।

5– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन०डी०पी०एस० एक्ट) की बहस को सुना और पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– केस डायरी में उपलब्ध फर्द के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 5 किलो 270 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी दिखायी गयी है। घटनास्थल पर प्रार्थी/अभियुक्त के पास चरस रखने के सम्बन्ध में कोई कागजात/लाइसेंस नहीं था। केस डायरी के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जामा तलाशी एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 50 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी/एस०एस०बी० के उप कमांडेन्ट

द्वारा ली गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से बरामद चरस वाणिज्यिक मात्रा में है। अपराध समाज को प्रभावित करने वाला है।

7– अतः उपर्युक्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

8– प्रार्थी/अभियुक्त **मेहताब** का जमानत आवेदन पत्र मुकदमा अपराध संख्या – 167/2026 धारा – 8/20 एन० डी० पी० एस० एक्ट, थाना – सिरसिया, जनपद– श्रावस्ती के मामले में खारिज किया जाता है।

दिनांक 30.07.2026

(अमित कुमार प्रजापति)
अपर सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती।